भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3016
18 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं के अंतर्गत पंजाब को आवंटित निधि

3016. श्री मलविंदर सिंह किंग:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की:

(क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं के अंतर्गत पंजाब को कुल कितनी निधि आवंटित की गई है;
(ख) इस निधि के उपयोग की योजना-वार स्थिति क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के अंतर्गत निधि के उपयोग को प्रभावित करने वाले किन्हीं अवरोधों को चिह्नित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफ़पीआई) नामक दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाएँ लागू कर रही है। इसके अलावा, एमओएफ़पीआई केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफ़एमई) नामक एक योजना भी लागू कर रही है। एमओएफ़पीआई ये तीनों योजनाएँ पंजाब समेत पूरे देश में लागू कर रहा है ।

पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफ़पीआई के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य के हिसाब से निधि का बंटवारा नहीं किया जाता है। हालांकि, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, एमओएफ़पीआई ने दिनांक 31.10.2025 तक पंजाब राज्य में 61 परियाजनाओं को मंज़ूरी दी है, जिनकी कुल परियोजना लागत रु. 1557.22 करोड़ है और रु. 418.91 करोड़ कीअनुदान सहायता मंज़ूर की है। पीएलआईएसएफ़पीआई के अंतर्गत, एमओएफ़पीआई ने दिनांक 31.10.2025 तक पंजाब राज्य में 128.86 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ 9 जगहों पर प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

पीएमएफ़एमई के अंतर्गत, पंजाब राज्य में दिनांक 31.10.2025 तक 3021 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को 259.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ मंज़ूरी दी गई है। पिछले तीन सालों में पीएमएफ़एमई स्कीम के अंतर्गत पंजाब को जारी किए गए निधि केंद्र के हिस्से की जानकारी नीचे दी गई है-

(करोड़ रुपये में)

राज्य	**वर्ष 2022-23**	**वर्ष 2023-24**	**वर्ष 2024-25**
पंजाब	16.31	30.65	87.80

योजनाओं को असरदार तरीके से लागू करने के लिए, एमओएफ़पीआई मंज़ूर परियोजनाओं के लागू होने का आकलन करने के लिए लाभार्थियों के साथ लगातार वर्चुअल/फ़िज़िकल मीटिंग करता है और राज्य लेवल पर नियमित निगरानी भी की जाती है।

*****